



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2005/फाल्गुन 6, 1926

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2005/PHALGUNA 6, 1926

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

दूरदर्शन महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

सं. 16(1)केबल/2005-ई-3.— केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र- असाधारण भाग 3- खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं 16 (1)/केबल/2000-ई-3 के अनुक्रम में प्रसार भारती एतद्द्वारा नॉन-प्राइम बैंड में केबल ऑपरेटर्स द्वारा उनकी केबल सेवा में पुनः प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन चैनलों की संख्या और नामों को पुनः निर्दिष्ट करता है, अर्थात् :

| क्र.सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | केबल ऑपरेटर्स द्वारा नॉन प्राइम बैंड में पुनः प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन चैनल का नाम |
|---------|--------------------------------|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | डीडी- भारती चैनल |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | डीडी- भारती चैनल |
| 3. | असम | डीडी- भारती चैनल |
| 4. | चंडीगढ़ | डीडी- भारती चैनल |
| 5. | दमण एवं दीव | डीडी- भारती चैनल |
| 6. | दादरा एवं नागर हवेली | डीडी- भारती चैनल |
| 7. | गुजरात | डीडी- भारती चैनल |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | डीडी- भारती चैनल |
| 9. | कर्नाटक | डीडी- भारती चैनल |
| 10. | केरल | डीडी- भारती चैनल |

| | | |
|-----|--------------|------------------|
| 11. | लक्षद्वीप | डीडी- भारती चैनल |
| 12. | महाराष्ट्र | डीडी- भारती चैनल |
| 13. | मणिपुर | डीडी- भारती चैनल |
| 14. | मेघालय | डीडी- भारती चैनल |
| 15. | मिजोरम | डीडी- भारती चैनल |
| 16. | नागालैंड | डीडी- भारती चैनल |
| 17. | उड़ीसा | डीडी- भारती चैनल |
| 18. | पंजाब | डीडी- भारती चैनल |
| 19. | पश्चिम बंगाल | डीडी- भारती चैनल |
| 20. | सिक्किम | डीडी- भारती चैनल |
| 21. | तमिलनाडु | डीडी- भारती चैनल |
| 22. | त्रिपुरा | डीडी- भारती चैनल |
| 23. | उत्तरांचल | डीडी- भारती चैनल |

24. उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के केबल ऑपरेटर नॉन-प्राइम बैंड में अपने केबल नेटवर्क पर (i) डीडी स्पॉट्स चैनल, (ii) डीडी लोक समां चैनल, (iii) डीडी राज्य समां चैनल और (iv) ज्ञान दर्शन चैनल को भी पुनः प्रसारित (रे-ट्रांसमिट) करेंगे।

(स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "नॉन-प्राइम बैंड" की व्याख्या भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड 4 में दिनांक 24.10.2003 को प्रकाशित अधिसूचना सं० 16(1)/केबल-2000-ई. III में पहले ही यथावर्णित "प्राइम बैंड" के संबंध में की जाएगी)।

के. एस. सर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/163/2004]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

DIRECTORATE GENERAL DOORDARSHAN

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2005

No. 16(1) Cable/2005-E-III.— In exercise of the powers conferred by sub section (3) of Section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) and in continuation of Notification No 16 (1)/Cable-2000-E-III dated 24th October, 2003 published in the Gazette of India - Extraordinary Part III-Section 4, the Prasar Bharati hereby further specifies the number and names of Doordarshan channels to be re-transmitted by the cable operators in their cable service in the non-prime band, namely:

| S. No | Name of the State/ Union Territory | Name of the channel of Doordarshan to be re- transmitted by the Cable- Operators in the non-prime band |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | Andhara Pradesh | DD-Bharati Channel |
| 2. | Arunachal Pradesh | DD-Bharati Channel |
| 3 | Assam | DD-Bharati Channel |
| 4 | Chandigarh | DD-Bharati Channel |
| 5. | Daman & Diu | DD-Bharati Channel |
| 6 | Dadra and Nagar Haveli | DD-Bharati Channel |
| 7 | Gujarat | DD-Bharati Channel |
| 8 | Jammu and Kashmir | DD-Bharati Channel |
| 9 | Karnataka | DD-Bharati Channel |
| 10 | Kerala | DD-Bharati Channel |
| 11 | Lakshadweep | DD-Bharati Channel |
| 12 | Maharashtra | DD-Bharati Channel |
| 13 | Manipur | DD-Bharati Channel |
| 14 | Meghalaya | DD-Bharati Channel |
| 15 | Mizoram | DD-Bharati Channel |
| 16 | Nagaland | DD-Bharati Channel |
| 17 | Orissa | DD-Bharati Channel |
| 18 | Pondicherry | DD-Bharati Channel |
| 19 | Punjab | DD-Bharati Channel |
| 20 | Tamil Nadu | DD-Bharati Channel |
| 21 | Tripura | DD-Bharati Channel |
| 22 | West Bengal | DD-Bharati Channel |
| 23 | Sikkim | DD-Bharati Channel |

24. In addition to above, the Cable Operators in all States and Union Territories of India shall also re-transmit (i) DD Sports Channel, (ii) DD Lok-Sabha Channel, (iii) DD Rajya Sabha Channel and (iv) Gyan Darshan Channel in non-prime band on their cable network.

(Explanation: for the purpose of this Notification, the expression "non-prime band" will be interpreted in relation to "prime band" as already explained in the Notification No 16 (1)/Cable-2000-E-III published on 24-10-2003 in Part-III-Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary.

K S. SARMA, Chief Executive Officer

[ADVT. III/IV/Exdy/163/2004]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

सं. 16(1)केबल/2000-ई-3.—केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), भारत का राजपत्र - असाधारण - भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 29 जनवरी, 2001 को प्रकाशित 29 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 82(ई) तथा भारत का राजपत्र - असाधारण - भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 को प्रकाशित 24 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं.16(1)/केबल-2000-ई-3 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुक्रम में भारत का राजपत्र - असाधारण - भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 13 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित अपनी दिनांक 13 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 823(ई) में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

1. दिनांक 13.09.2000 की अधिसूचना की अनुसूची में संशोधन
 - (क): पैरा-1 के अन्तर्गत अनुसूची की क्र.सं.1 में "डीडी-तेलुगू" शब्दों को "डीडी-सप्तगिरि" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ख): पैरा-1 के अनुसूची की क्र.सं.8 में "डीडी-कश्मीर" शब्दों को "डीडी-कशीर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. दिनांक 24.10.2003 की अधिसूचना के पैरा-1 के उप पैरा (i) के खण्ड (ग) में संशोधन
 - : दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना के पैरा-1 के उप पैरा (i) के खण्ड (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" अनुसूची की क्र.सं.1 से 22 तथा 33 के अनुसार जिस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में केबल ऑपरेटर स्थित है, वहां की क्षेत्रीय भाषा का एक चैनल, अनुसूची की क्र.सं. 23 से 32, 34 और 35 के अनुसार विकल्प के तौर पर डीडी-भारती।"

अनुसूची

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | केबल ऑपरेटर द्वारा पुनः प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषा के चैनल का नाम |
|---------|--------------------------------|--|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | डीडी - सप्तगिरि |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 3. | असम | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 4. | चंडीगढ़ | डीडी - पंजाबी |
| 5. | दमन और दीव | डीडी - गुजराती |
| 6. | दादरा और नगर हवेली | डीडी - गुजराती |
| 7. | गुजरात | डीडी - गुजराती |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | डीडी - कशीर |
| 9. | कर्नाटक | डीडी - वंदना |
| 10. | केरल | डीडी - मलयालम |
| 11. | लक्षद्वीप | डीडी - मलयालम |
| 12. | महाराष्ट्र | डीडी - सत्याद्रि |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 13. | नाणपुर | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 14. | मेघालय | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 15. | मिजोरम | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 16. | नागालैण्ड | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 17. | उड़ीसा | डीडी - उड़िया |
| 18. | पंजिबेरी | डीडी - पंजिबेरी |
| 19. | पंजाब | डीडी - पंजाबी |
| 20. | तामिलनाडु | डीडी - पंजिबेरी |
| 21. | त्रिपुरा | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 22. | पश्चिम बंगाल | डीडी - बांग्ला |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | डीडी - भारती |
| 24. | बिहार | डीडी - भारती |
| 25. | छत्तीसगढ़ | डीडी - भारती |
| 26. | दिल्ली | डीडी - भारती |
| 27. | गोवा | डीडी - भारती |
| 28. | हरियाणा | डीडी - भारती |
| 29. | हिमाचल प्रदेश | डीडी - भारती |
| 30. | झारखण्ड | डीडी - भारती |
| 31. | मध्य प्रदेश | डीडी - भारती |
| 32. | राजस्थान | डीडी - भारती |
| 33. | सिक्किम | डीडी - नॉर्थ-ईस्ट |
| 34. | उत्तर प्रदेश | डीडी - भारती |
| 35. | उत्तरांचल | डीडी - भारती |

के. एस. सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/IV/असमभारत/63/2004]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2005

No. 16(1) Cable/2000-E-III— In exercise of the power conferred by Sub-section (3) read with Sub-section (1) of Section 8 of the Cable Television Networks (Regulations) Act, 1995 (7 of 1995), the PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA), in continuation of amendments made vide Notification No. SO 82(E) dated 29th January 2001 published in the Gazette of India-EXTRAORDINARY-Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 29th January 2001 and Notification No.-16 (1)/Cable-2000-E-III dated 24th October 2003 published in Gazette of India-EXTRAORDINARY-Part-III, Section-4 dated 24th October 2003, hereby makes further following Amendments in its

629 GI/2005-2

Notification No. SO 823 (E) dated 13th September 2000 Published in the Gazette of India
EXTRAORDINARY-Part-II, Section-3-Sub-section (ii) dated 13th September 2000.

1. Amendment of
SCHEDULE of
Modification
dated 13/09/2000
- (a): Sl. No. 1 of schedule under para-1, the words
"DD-Telugu" shall be substituted by the words
"DD-Saptagiri".
- (b): Sl. No. 8 of schedule under para-1, the words
"DD-Kashmir" shall be substituted by the words
"DD - Kashir".
2. Amendment of
clause (c) of
sub-para (i) of para
of the Notification
dated 24/10/2003
- : Clause (c) of sub-para (i) of para-1 of the
Notification dated 24th October 2003 shall be
substituted by the following:-

"One regional language channel of the State/Union
territory in which the cable operator is located
according to the schedule from Sl. No. 1 to 22 and
33, alternatively, DD-Baarati according to the
schedule from Sl. No. 23 to 32, 34 and 35".

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of State/ Union Territory | Name of the Regional Language Channel of Doordarshan to be Re-Transmitted by the Cable Operator |
|---------|--------------------------------|---|
| 1. | Andhra Pradesh | DD - Saptagiri |
| 2. | Arunachal Pradesh | DD - North-East |
| 3. | Assam | DD - North-East |
| 4. | Chandigarh | DD - Punjabi |
| 5. | Daman and Diu | DD - Gujarati |
| 6. | Dadra and Nagar Haveli | DD - Gujarati |
| 7. | Gujarat | DD - Gujarati |
| 8. | Jammu and Kashmir | DD - Kashir |
| 9. | Karnataka | DD - Chandana |
| 10. | Kerala | DD - Malayalam |
| 11. | Lakshadweep | DD - Malayalam |
| 12. | Maharashtra | DD - Sahyadri |
| 13. | Manipur | DD - North-East |
| 14. | Meghalaya | DD - North-East |
| 15. | Mizoram | DD - North-East |
| 16. | Nagaland | DD - North-East |
| 17. | Orissa | DD - Oriya |
| 18. | Pondicherry | DD - Podigai |
| 19. | Punjab | DD - Punjabi |
| 20. | Tamil Nadu | DD - Podigai |
| 21. | Tripura | DD - North-East |
| 22. | West Bengal | DD - Bangla |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 23. | Andaman & Nicobar Island | DD - Bharati |
| 24. | Bihar | DD - Bharati |
| 25. | Chhattisgarh | DD - Bharati |
| 26. | Delhi | DD - Bharati |
| 27. | Goa | DD - Bharati |
| 28. | Haryana | DD - Bharati |
| 29. | Himachal Pradesh | DD - Bharati |
| 30. | Jharkhand | DD - Bharati |
| 31. | Madhya Pradesh | DD - Bharati |
| 32. | Rajasthan | DD - Bharati |
| 33. | Sikkim | DD - North-East |
| 34. | Uttar Pradesh | DD - Bharati |
| 35. | Uttaranchal | DD - Bharati |

K.S. SARMA, Chief Executive Officer

[ADVT. III/TV/Exty./163/2004]